न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धववाल,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

मूल दीवानी वाद संख्या–15/2018
CIS NO. CO/15/2018

01. बीरबल पुत्र पालाराम, उम्र 65 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

02. श्रीमती लिछमा पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी महताब, उम्र 57 वर्ष,
03. श्रीमती भागो देवी पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी धर्मपाल, उम्र 54 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट हाल निवासी गहली, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

04. बसंती पुत्री स्व0 पालाराम, पत्नी हीरालाल, उम्र 48 वर्ष निवासी लाम्बी जाट हाल आबाद ढाणी बाया तन सिरोही, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

05. हीरा सिंह पुत्र बुधराम, उम्र 65 वर्ष,
06. सुगनपाल पुत्र बुधराम, उम्र 42 वर्ष,
निवासीगण लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

07. श्रीमती प्रेम देवी उर्फ मुन्नी पुत्री बुधराम पत्नी रामस्वरूप उम्र 60 वर्ष, निवासीगण
08. श्रीमती छिन्नो देवी पुत्री बुधराम, पत्नी निहाल सिंह, उम्र 48 वर्ष
09. श्रीमती चान्दो पुत्री बुधराम पत्नी उम्मेद सिंह, उम्र 45 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट हाल आबाद छिलरो, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

10. शिवनन्द पुत्र मुकन्दाराम, उम्र 80 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (मृतक) ––

10/1 महिपाल पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 49 वर्ष
10/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 47 वर्ष
10/3 कपिल पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 38 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

10/4 श्रीमती सुलोचना पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी ओमप्रकाश, उम्र 51 वर्ष
निवासी लाम्बी जाट तहसील बुहाना व महिपाल वास, तहसील सूरजगढ़, जिला–झुंझुनू राजस्थान

10/5 श्रीमती इन्दू पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी बलवीर, उम्र 44 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट तहसील बुहाना व कैरवाली, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान

10/6 श्रीमती मुनेश पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी देववत, उम्र 40 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट तहसील बुहाना व जाटो का बास मलसीसर, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

10/7 श्रीमती नवीता पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी मदन, उम्र 34 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट तहसील बुहाना व दिलसर, तहसील मलसीसर, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

11. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 धापा व हेमराज, उम्र 64 वर्ष, निवासी गहली, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

12. श्रीमती बरजी पुत्री मुकन्दाराम पत्नी स्व0 नेकीराम, उम्र 85 वर्ष,
13. श्रीमती किशनी पुत्री मुकन्दाराम पत्नी भगवानाराम, उम्र 82 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट हाल निवासी सागरपुर (ईमराड़ा), तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

14. श्रीमती गुमानी पुत्री मुकन्दाराम पत्नी भगवानाराम, उम्र 76 वर्ष
15. श्रीमती राजकौर पुत्री मुकन्दाराम पत्नी इन्द्र सिंह, उम्र 75 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट हाल निवासी गहली, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

16. कैलाश पुत्र स्व0 हरद्वारी नवीरा स्व0 श्रीमती हरकोरी व रिछपाल, उम्र 40 वर्ष
17. महेन्द्र पुत्र स्व0 हरद्वारी नवीरा स्व0 श्रीमती हरकोरी व रिछपाल, उम्र 39 वर्ष
18. अजीत पुत्र स्व0 शेर सिंह नवीरा स्व0 श्रीमती हरकोरी व रिछपाल, उम्र 26 वर्ष
निवासीगण महराणा, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

–वादीगण

बनाम

01. श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 बहादूर, उम्र 60 वर्ष
02. प्रदीप पुत्र बहादूर, उम्र 39 वर्ष
03. भूपेन्द्र पुत्र बहादूर, उम्र 36 वर्ष
04. रामप्रसाद पुत्र फूलाराम, उम्र 67 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

05. श्रीमती सरती देवी पुत्री फूलाराम पत्नी भरत सिंह, उम्र 80 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट हाल निवासी सागरपुर (ईमराड़ा), तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा, पोस्ट दुलोठ जाट

06. श्रीमती बिल्लो उर्फ विमला पुत्री फूलाराम पत्नी रामकुंवार, उम्र 65 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट हाल आबाद मोहम्मनपुर, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

07. श्रीमती मुकेश दत्तक पुत्री स्व0 रामस्वरूप पत्नी सत्यप्रकाश, उम्र 35 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट हाल आबाद कालवा, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

––प्रतिवादीगण

08. मान सिंह पुत्र बुद्वराम, उम्र 57 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––प्रफोर्मा डिफेन्डेन्ट

दावा घोषणात्मक, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

उपस्थिति–
01. श्री लीलाधर शर्मा – अधिवक्ता वास्ते वादीगण
02. श्री सत्येन्द्र मान – अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 01 से 07

–:: निर्णय ::– दिनांक 12 मार्च, 2026

(01) प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि–वादपत्र के पृष्ठ संख्या 05 में मंगलाराम की वंशावली अंकित है। उपरोक्त वंशावली के अनुसार एक संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है व विवादित भूखण्ड के बारे में अब भी संयुक्त हिन्दू परिवार है। विवादित भूमि जिसका वर्णन दावे के खण्ड नम्बर 02 में किया गया है, उक्त पक्षकारान की संयुक्त व शामलाती सम्पति है। उक्त परिवार का पहले मुखिया स्वर्गीय मंगलाराम था, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुकन्दाराम व फूलाराम का संयुक्त परिवार रहा व उनकी मृत्यु के बाद पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 ने गुवाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग पर पुख्ता हवेली बना ली व बीच में पक्षकारान ने शामलाती चौक छोड़कर दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने मकानात बना लिए व उससे सटकर एक बैठक भी बना ली व इस गुंवाड़ी के पूर्वी भाग में जिसे नजरी नक्शे में मार्क–01 नम्बर से दिखाया गया है, का उत्तर का प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से का व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 का दक्षिणी हिस्से का रहा जिसमें

बने खण्डहर गिर गये हैं व अब खाली है। इस प्रकार पक्षकारान काबिज है, मगर विधिनुसार स्व. मंगलाराम व उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रान मुकन्दाराम व फुलाराम का व उनकी मृत्यु के बाद पक्षकारान का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिये दावा किया जा रहा है विवादित भूखण्ड की चर्तुसीमाओ का वर्णन समस्त सीमाओं के विवरण के साथ नजरी नक्शा पेश है जिसमें पक्षकारान के अलग अलग कब्जे के मकानात व खाली जगह को अलग–अलग कोड नम्बर से दिखाया गया है। उक्त नजरी नक्शा वादीगण के दावे का एक भाग है। उक्त नजरी नक्शा सही पैमाने के अनुसार बनाया गया है। पक्षकारान की काश्त की भूमि भी अभी संयुक्त खातेदारी की है। भूखण्ड की चतुर्थ सीमाएं वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित है। स्वर्गीय मंगलाराम की एक्त गुवाड़ी ग्राम लाम्बी जाट तहसील बुहाना में थी जिसका नजरी नक्शा पेश है, जिसे मार्क–ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी से दिखाया गया है। इस वर्णित रकबे में प्रथम (1) मार्क से भूखण्ड का पूर्वी भाग दिखाया गया है जिसका उत्तर का भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के कब्जे में है व दक्षिणी अर्द्धभाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 के कब्जे में है व मार्क–ए, बी. ए2 ए1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 की हवेली है व खाली जगह है। खाली जगह को ए2 व ए1, ए3, बी, बी1 से दर्शाया है। जिसमें अब वादी संख्या 10 शिवनन्द निवास करता है। वादीगण ने आपसी सहमति से इस हवेली में वादी संख्या 10 का निवास होना स्वीकार किया है, मार्क डब्ल्यू, एक्स, वाई, डी भाग प्रतिवादीगण के कब्जे में है। वादीगण की हवेली के पश्चिमी के मकानात आज से 50–60 वर्ष पूर्व बने थे व पूर्व का भाग आज से 30–40 साल पहले बना था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 की हवेली के दक्षिण दीवार में तीन जंगले व छः रोशनदान बने हुए है, जिनसे वादीगण हवा, रोशनी, धूप का उपयोग उपभोग करते हैं व दक्षिण में एक छोटा गेट भी है। वादी व प्रतिवादीगण के उपरोक्त वर्णित मकानात के बीच में दोनो पक्षो का शामलाती चौक है, जिसे नजरी नक्शे में जी, जी1, ए1, ए2 सी से दिखाया गया है, जिसका पक्षकारान में कोई विभाजन आज तक नहीं हुआ है। उक्त चौक में पक्षकारान उठने–बैठने व भूखण्ड के पूर्वी भाग जो एक (1) से दर्शाया गया है, से अपने अपने मकानों में जाने के लिए व इन मकानात से मुख्य दरवाजे से गांव में आने जाने के लिए काम में कदीम से, जब से पक्षकारान के मकानात 50–60 वर्ष से बने तब से इसी प्रकार काम में

लेते रहे है। वादीगण भूखण्ड–01 के दक्षिणी भाग से हवेली के पश्चिम में स्थित खाली भूमि में पशु आदि बांधने, चराने आदि के लिए आवागमन हेतु भी काम में लेते रहे है व पशुओ को भी मुख्य गेट जिसे नजरी नक्शे में एम, जी मार्क से दिखाया गया है, से स्वयं व पशुओ को लाते ले जाते रहे है व इसी से पशुओं का चारा भी गाड़ियों से ले जाते रहे है। वादीगण ने उनकी हवेली के पश्चिम में जो खाली जगह मार्क ए3, बी, बी1 ए2 है में अब लैट्रिन बाथरूम व एक टीनशेड बना लिया है व वादी संख्या 10 शिवनन्द की पुत्रवधु श्रीमती सुनिता ने इस खाली भूमि के पश्चिमी काश्त की भूमि श्रीमति निम्मो देवी से क्रय कर ली है व वादीगण के हवेली के पश्चिमी खाली भूखण्ड मार्क ए2, ए3, बी, व बी1 को मिलाकर चार दिवारी भी बना ली है। जिसके दो दरवाजे उस ही चौक में खुलते है। वादी संख्या 10 का परिवार भी इस क्रयशुदा भूखण्ड से इसी शमलाती चौक से आते जाते रहे है। स्व. मंगलाराम का देहान्त आज से करीब 80 वर्ष पूर्व हुआ। उसकी मृत्यू के समय उसके पुत्र मुकन्दाराम व फूलाराम जीवित थे, इस प्रकार उन्हें गुवाड़ी उत्तर जीविता के आधार पर प्राप्त हुई व उक्त मुकन्दाराम व फूलाराम की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने के बाद हुई व उनकी मृत्यू के समय उसके उत्तराधिकारियों में उनकी पुत्रियां जीवित थी, इसलिये समस्त पक्षकारान को यह समस्त भूखण्ड धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकार में प्राप्त हुई व समस्त पक्षकारान उक्त सम्पति के टीनेन्टस इन कॉमन हो गये। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 का 1/2 हिस्सा हुआ व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का 1/2 हिस्सा रहा। पक्षकारान ने उक्त भूखण्ड गुवाड़ी को अपनी शामलाती (मिश्रित) ही रखी व सहमति पूर्वक अलग अलग मकानात बनाये व बाकी खाली जगह को शामलाती रखा। जिसका विधिवत बंटवारा अभी तक नही हुआ। वादीगण संख्या 01 से 04 के पिता स्वर्गीय पालाराम व वादी संख्या 10 व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के हितपूर्वाधिकारी स्वर्गीय बहादूर व प्रतिवादी संख्या 04 के मध्य शामलाती चौक जिसे नजरी नक्शे में मार्क–जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू1, ए1, ए2, सी से दर्शाया गया है, के बारे में विवाद हुआ तब गांव के रोशनलाल, सोहनलाल ने बंटवारा दिनांक 23.08.2009 को कर दिया था जिसके आधार पर स्वर्गीय पालाराम व वादी संख्या 10 शिवनन्द ने एक दावा पालाराम आदि बनाम बहादूर आदि मुकदमा नम्बर 16/2012 सिविल न्यायालय

बुहाना में प्रस्तुत किया था। इस दावे में पक्षकारान के मध्य हुए उक्त बंटवारे को सिविल न्यायाधीश बुहाना द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व स्टाम्प विधि के आधार पर साक्ष्य में अग्राह्य मान लिया था, जिससे उक्त दावा पालाराम शिवनन्द बनाम बहादूर, रामप्रसाद दिनाक 16.03.2018 को खारिज कर दिया। दिनांक 16.03.2018 तक उक्त विवादित भूखण्ड के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी थी। उक्त दावा दिनांक 16.03.2018 को खारिज होने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के हौसले बढ़ गये व उन्होने मुख्य दरवाजे मार्क–एम, जी को उत्तर की तरफ वादीगण के जंगले के बाहर से दीवार मार्क–टी, एस, खींचकर अतिक्रमण कर लिया व जंगले के आगे दीवार बना दी, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण शामलाती चौक मार्क–जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू1, ए1, ए2, सी, वाई को भी अपने अकेले के मालिकाने की मानने लग गये व वादीगण के हवेली की दक्षिणी दीवार के सहारे पूर्व पश्चिम दीवार बनाने के लिए नींव खोदना शुरू कर रखा है व शामलाती चौक के रूप को परिवर्तित कर रहे है व वादीगण की हवेली के जंगले रोशनदान बन्द कर रहे है व हवेली के दक्षिणी दरवाजे के आगे भी पत्थरों की एक ट्रोली डाल दी है, उक्त चौक पक्षकारान का शामलाती होने से प्रत्येक अंश पर प्रत्येक वादी व प्रतिवादी को उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार है। किसी भी पक्षकार को एक दूसरे की सहमति के बिना कोई निर्माण, अतिक्रमण व उपयोग–उपभोग करने का अधिकार नहीं है, न ही एक दूसरे पक्ष को एक दूसरे को उपयोग उपभोग करने से रोकने का कोई अधिकार है। ऐसी परिस्थितियो में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो पूर्वी भाग के मार्क–1 (आई) के दक्षिणी अर्द्ध भाग को अपनी हिस्से की व शामलाती चौक के जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू1, ए1, ए2, सी, वाई को पक्षकारान के शामलाती होने का घोषित करावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वो वादीगण को उपरोक्त वर्णित शामलाती चौक को, चौक के रूप में व हवेली के पश्चिमी खाली भूखण्ड से व भूखण्ड–01 के दक्षिणी भाग से मुख्य दरवाजे में आवागमन करने से न रोके व अपने पशुओ को इस चौक में लाने ले जाने व हवेली के दक्षिणी दरवाजे से मुख्य दरवाजे से आने जाने में व चौक के किसी भी भाग में आवागमन करने से न रोके व न ही कोई व्यवधान पैदा करे व दिनांक 16.03.2018 के बाद बनाई गई दीवार मार्क–टी, एस को

हटवाए व हवेली के पूर्वी जंगले के सामने कोई नया निर्माण न करने के लिए रूकवाए व हवेली की दक्षिणी दीवार में 03 जंगले 06 रोशनदानो से भी हवा रोशनी प्राप्त करने में कोई व्यवधान न करें। प्रतिवादीगण ने पूर्व के दावे में वादीगण की हवेली होना स्वीकार किया है व वादी संख्या 01 से 03 व वादी संख्या 10 ने प्रतिवादीगण के मकानात होना स्वीकार किया है इसलिए उक्त निर्मित मकानों के बारे में पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल पूर्वी दिशा में भूखण्ड संख्या 01 के दक्षिणी अर्द्धभाग का व शामलाती चौक जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू1, ए1, ए2, सी, वाई का जिसे नजरी नक्शे में सुर्ख रंग की लाईनों से दिखाया गया है व सम्पूर्ण विभाजन के लिए यह दावा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 08 मान सिंह वादीगण के साथ ही संयुक्त हिस्सेदार है, परन्तु वह वादीगण के साथ दावा नहीं कर रहा है, इसलिए उसे प्रफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया है। वाद आधार, वाद पूर्ण न्यायशुल्क पर प्रस्तुत होना व वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का बताते हुए यह अनुतोष चाहा गया कि–दावा बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 इस प्रकार डिक्री किया जावे कि –उपरोक्त वर्णित भूखण्ड जिसका नजरी नक्शा संलग्न है, में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का 1/2 हिस्सा है, जिसका विभाजन पूर्वी तरफ के भाग का जिसे नजरी नक्शे में चौक के पूर्व दिशा में एक (1) से दिखाया गया है, में दक्षिणी अर्द्ध भाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 के हिस्से में उत्तरी अर्द्ध भाग प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के हिस्से में माना जाकर व उत्तरी हवेली व उसके पश्चिम में खाली भूखण्ड वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 की हिस्से की व चौक के दक्षिणी भाग के मकानात व बैठक प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की मानी जाकर इसी प्रकार विभाजित किया जावे व नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क–जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू2, ए, ए1, ए2, सी, वाई, का विभाजन इस प्रकार किया जावे कि उत्तरी अर्द्ध भाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 का व दक्षिणी भाग प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का माना जावे व यदि उक्त चौक के विभाजन योग्य न माना जावे तो पक्षकारान का शामलाती उपयोग उपभोग का व पक्षकारान के मकानात में व खाली भूमि में आने जाने के उपयोग का माना जावे। इसी प्रकार प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 को आज्ञापक व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वो नजरी नक्शे में दर्शाई गई

टी से एस दीवार व दरवाजे को हटावे व यदि वादीगण की हवेली के दक्षिण में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 कोई दिवार बना लेते है तो उसे भी आज्ञापक व्यादेश से हटाया जावे व उक्त विवादित चौक में पड़े पत्थरों, इट्टों, खाद, कुरड़ी आदि को वादीगण को हटाने से न रोके व वादीगण को रोकने की सूरत में न्यायालय स्वयं प्रक्रिया द्वारा हटाने की डिक्री पारित करे व सम्पूर्ण चौक को वादीगण के आवागमन मुख्य दरवाजे से व चौक के पूर्व में स्थित मार्क एक (1) के दक्षिणी भाग से वादीगण की हवेली के पश्चिमी खाली भूखण्ड में आने जाने से न रोके, ऐसा वे ना तो स्वयं करे व न ही अपने किसी रिश्तेदार व एजेन्ट से करावे व चौक के पश्चिम स्थित भूखण्ड में भी आवागमन करने से न रोके व उक्त चौक में कही भी किसी प्रकार की दीवार, व डोली का निर्माण न करे, मुख्य दरवाजा से आवागमन करने से न रोके।

(02) प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह बताया गया कि उभय पक्षकारान के पूर्वज स्वर्गीय मंगलाराम थे, जिनकी मृत्यु करीब 100 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। उनके जीवनकाल में ही उनके पुत्र एंव उभय पक्षकारान के पूर्वज मुकन्दाराम व फूलाराम अलग अलग हो गये थे। इस प्रकार से मुकन्दाराम एव फूलाराम का परिवार संयुक्त नही था एंव न ही उनके मकान व जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती सम्पति थी। उभय पक्षकारान के पूर्वज मुकन्दाराम व फूलाराम ने अलग अलग होकर अपने अपने मकान व गुवाडी/बाडा पृथक पृथक से बना लिये थे। इस प्रकार से पक्षकारान के हकपूर्वाधिकारी का परिवार व जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार नही रहा है। मुकन्दाराम के उत्तराधिकारियों ने अपनी गुंवाडी में आज से 50–60 वर्ष पूर्व अपनी पुख्ता हवेली बना ली। उक्त पुख्ता हवेली के दक्षिण में फूलाराम की गुवाडी/बाडा स्थित है जिस पर फूलाराम के उत्तराधिकारियों प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने करीब 50–55 वर्ष पूर्व ही अपने पुख्ता मकान बना लिए। उक्त दोनो मकानों के मध्य में कोई शमलाती भूमि नहीं है बल्कि स्वर्गीय फूलाराम के उत्तराधिकारियों का चौक स्थित है। उक्त प्रतिवादीगण के मकानों के पूर्व में उक्त प्रतिवादी पक्ष की गुंवाडी बाडा का पूर्वी हिस्सा स्थित ळे, जिसे उक्त खण्ड में तथाकथित तौर पर वादी पक्ष ने मार्क–1 नम्बर से दर्शाया है। उक्त मार्क–1 नम्बर की भूमि से वादी पक्ष का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, न ही उसका दक्षिणी हिस्सा वादी पक्ष का रहा है। समस्त भूमि उक्त प्रतिवादी पक्ष की रही है जिसमें

प्रतिवादी पक्ष ने स्वर्गीय फूलाराम के समय से ही अपने खाम मकान झौपड़ी आदि बना रखे है एवं अपने पशु व चारा आदि रखते है। इस प्रकार से स्वर्गीय फूलाराम के जीवन काल से ही प्रतिवादी पक्ष अपनी गुवाडी व मकानों का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। वादी पक्ष को स्वर्गीय फूलाराम की स्वंय की गुवाडी/भूखण्ड का बंटवारा करवाने का कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नक्शा बनावटी एंव गलत है, जिसे वादी पक्ष ने झूंठा वाद दायर करने के लिए तैयार किया है। काश्त की भूमि संयुक्त खातेदारी की होने का यह मतलब कतई नहीं है कि पक्षकारान की समस्त जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। वादी पक्ष की पुख्ता हवेली के पश्चिम में सटकर नीमों देवी की खातेदारी की भूमि स्थित थी, जिसमें उक्त हवेली से सटकर कृषि भूखण्ड श्रीमति सुनीता देवी द्वारा वर्ष 2012 में क्रय कर लिया था। वास्तविक एंव सही तथ्य यह है कि वादी पक्ष द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत मिथ्या एंव मनगढन्त नक्शे में अंकित मार्क–ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, भांति की स्वर्गीय मंगलाराम की ग्राम लाम्बी में कोई गुवाडी स्थित नहीं थी, बल्कि वादी पक्ष की पुख्ता हवेली के स्थान पर मंगलाराम की गुवाडी स्थित थी। उक्त नक्शे में मार्क–1 द्वारा स्वर्गीय फूलाराम की गुवाडी/भूखण्ड का कृत्रिम विभाजन दर्शा कर उत्तरी भाग प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का एंव दक्षिणी अर्द्ध भाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक का कब्जे शुदा होना दर्शाया गया है, जो मिथ्या एंव मनगढन्त तथ्य है। उक्त सम्पूर्ण पूर्वी भाग स्वर्गीय फूलाराम के उत्तराधिकारियों, प्रतिवादीगण के कब्जे व हक एंव अधिकार का है जिसमें उक्त प्रतिवादीगण अपने पशु एवं सामान आदि स्वर्गीय फूलाराम के समय से ही रखकर शान्ति पूर्वक उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है। वादी पक्ष का उक्त हिस्से पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त नक्शे में मार्क–ए, बी, ए2, ए1 द्वारा गलत रुप से वादी पक्ष की हवेली व खाली जगह को दर्शाया गया है। सही तथ्य यह है उक्त हवेली के पश्चिम में सटकर श्रीमति नीमों देवी की कृषि भूमि रही है जिसे बाद में श्रीमति सुनीता देवी व महीपाल द्वारा सन् 2012 में क्रय कर लिया गया था। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि उक्त तथ्य को वादी पक्ष ने अपने द्वारा पूर्व में स्थापित वाद, पालाराम आदि बनाम बहादुर आदि में भी स्वीकार किया है। नक्शे में मार्क–ए2, ए1, ए3, बी व बी1 द्वारा गलत रुप से खाली भूमि दर्शाई गई है, बल्कि उक्त भूमि श्रीमति नीमों

देवी से क्रय शुदा भूमि है। वादी पक्ष द्वारा पूर्व स्थापित उक्त वाद में दर्ज तथ्य के विरूद्ध उक्त स्थान में वादी शिवनन्द का निवास होना कथन किया है जो कि आपस में विरोधाभाषी तथ्य है उक्त खण्ड में अंकित मार्क–डब्ल्यू, एक्स, वाई, डी भाग गलत रुप से दर्शाया गया है। सही स्थिति यह है कि वादी पक्ष की हवेली के दक्षिण में स्थित समस्त गुवाडी प्रतिवादी संख्या 01 के हक एंव अधिकार की है जिसमें उक्त मार्क द्वारा अंकित हिस्से में उक्त प्रतिवादीगण ने अपने पुख्ता मकान बना रखे है। वादी पक्ष की हवेली अलग अलग समय पर न बनकर आज से 50–60 वर्ष पूर्व एक साथ ही बनी थी। वादी पक्ष की हवेली की दक्षिणी दिवार में स्थित जंगले एव रोशनदान एंव दरीची प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की भूमि में उक्त प्रतिवादीगण की सहमति से रखे हुए है। दरीची, द्वार का उपयोग उक्त प्रतिवादी पक्ष से सम्पर्क रखने के लिए रखा गया था। वादीगण एंव उक्त प्रतिवादीगण के पुख्ता मकानों के मध्य स्थित भूमि जिसे नक्शे में तथाकथित तौर पर मार्क–जी, जी1, ए1, ए2 एंव सी द्वारा दर्शाया गया है, मिथ्या तौर पर उभय पक्ष की शामलाती भूमि होने का कथन दर्ज किया है। वास्तविक तौर पर उक्त भूमि उक्त प्रतिवादीगण की गुवाडी का ही भाग है जिसका उक्त प्रतिवादीगण अपने हक पूर्व अधिकारी स्वर्गीय फूलाराम के समय से ही शान्ति पूर्वक उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे हैं। वादी पक्ष का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी पक्ष ने उक्त भूमि का कभी भी कोई उपयोग एंव उपभोग नहीं किया बल्कि उक्त भूमि में उक्त प्रतिवादीगण के पशु आदि रखे जाते है एव तामीरात का सामान बरसों से पड़ा हुआ है। वादी पक्ष का उक्त भूमि से कभी आवागमन नहीं रहा है। वादी पक्ष गाँव में आने जाने के लिए अपनी पुख्ता हवेली के पूर्वी मुख्य द्वार से प्रारम्भ से ही आवागमन एंव परिवहन करते आ रहे है। वादी पक्ष के उक्त भूमि में पशु आदि कभी भी नही बंधे है और न ही कभी चारे की गाडी आदि का आवागमन रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की गुवाडी का मुख्य द्वार उत्तर में स्थित है जिस पर लोहे का प्रतिवादीगण का दरवाजा लगा हुआ है जिससे प्रतिवादीगण एंव उनके पशु व वाहन आदि आवागमन करते है इसके अलावा प्रतिवादीगण का बाहर जाने के लिए अन्य कोई द्वार नही है। उक्त द्वार को नजरी नक्शे में मार्क–एम, जी द्वारा दर्शाया गया है। वादी पक्ष की पुख्ता हवेली के पश्चिम में मार्क–ए3, बी, बी1 ए2 द्वारा दर्शायी गई कोई खाली भूमि स्थित नहीं है बल्कि

श्रीमति नीमों देवी से महीपाल द्वारा कय शुदा भूमि है जिसमें लैट्रिन बाथरुम बने हुए है, जिस पर माह अगस्त, 2012 में चारदीवारी का निर्माण कर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को अन्धेरे में रखकर अवैध रुप से दो दरवाजे प्रतिवादीगण की भूमि से अवैध रुप से रास्ता कायम करने हेतु खोल दिये एवं झूंठा वाद स्थापित कर दिया जो खारिज हो चुका है। वादी पक्ष के पश्चिम स्थित नीमों देवी से कय शुदा भूखण्ड में आने जाने का एव परिवहन करने का रास्ता दक्षिण दिशा में स्थित था, जिधर से होकर ही वादी पक्ष ने समस्त निर्माण सामग्री का परिवहन किया था। उक्त दक्षिणी रास्ता पास में ही स्थित आम रास्ते खसरा संख्या 31/2 एंव 31/3 में मिल जाता है जहां से सभी लोग आवागमन करते है। स्वर्गीय मंगलाराम की मृत्यु करीब 100 वर्ष पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से पूर्व ही हो चुकी थी। वादी पक्ष एंव प्रतिवादी पक्ष के हकपूर्वाधिकारियों की गुवाडी शामलाती नहीं थी बल्कि अलग अलग थी जिन पर उनके अलग अलग मकान बने हुए थे। इस कारण से उक्त प्रावधान प्रकरण पर लागू नही होते है। वादी पक्ष ने उभय पक्ष के पुख्ता मकानों के मध्य स्थित प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की भूमि में से रास्ता कायम करने हेतु श्रीमति सुनीता देवी एव महीपाल के पश्चिम स्थित भूखण्डो का द्वार अवैध रुप से प्रतिवादीगण के पूर्वी भूखण्ड में खोल दिया एंव एक झूठा वाद संख्या 16/2012 पालाराम आदि विरूद्ध बहादूर आदि न्यायालय बुहाना में अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का स्थापित कर दिया एंव दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद दक्षिण स्थित मुख्य द्वार को, दीवार निर्मित कर, बन्द कर दिया। न्यायालय ने विवादित भूमि को वादी पक्ष की नही मानते हुए खारिज कर दिया। वादी पक्ष एंव प्रतिवादी पक्ष के मध्य दिंनाक 23.08.2009 को कोई बंटवारानामा सम्पन्न नही हुआ। बंटवारानामा एक फर्जी दस्तावेज है। नजरी नक्शे में मार्क जी, जी1, डब्ल्यू, डब्ल्यू1, ए, ए2 से दर्शाया गया कोई शामलाती चौक नहीं है बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण की है। वादी पक्ष को नक्शे में अंकित मार्क–1(i) के दक्षिणी अर्द्धभाग की भूमि को अपने हिस्से की एंव मार्क–G,G1, W, W1, A, A2, C, Y को शामलाती होने की घोषणा करवाने का कोई अधिकार नही है, न ही प्रतिवादी पक्ष को किसी भांति की स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाने का अधिकार है। इसी प्रकार से वादी पक्ष को उक्त प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तरी मुख्य द्वार की सपोर्ट में निर्मित दिवार को हटवाने का कोई

अधिकार नहीं है। उक्त दिवार को हटाने से पूर्ण उत्तरी मुख्य द्वार ही नष्ट हो जाता है। प्रतिवादीगण को अपनी भूमि का उपयोग एंव उपभोग व निर्मिणव का पूर्ण विधिक अधिकार है। वादी पक्ष जानबूझ कर एंव दुर्भावना से ग्रस्त होकर दक्षिणी अर्द्ध भाग की भूमि को अपनी व चौक मार्क–G,G1, W, W1, A, A2, C, Y को शामलाती होने का कथन कर विवादित होना बता रहा है ताकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को दबाब में डालकर हवेली के पश्चिम में स्थित श्रीमति सुनीता एंव महीपाल द्वारा क्रयशुदा भूखण्डों के पूर्वी दरवाजों के लिए प्रतिवादी पक्ष की भूमि में से रास्ता लेकर कायम किया जा सके और उत्तरी मुख्य द्वार पर भी अपना हक कायम कर सके। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जावे।

(03) उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2023 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये–

01. क्या वादपत्र के मद संख्या 02 में वर्णित सम्पत्ति स्वर्गीय मंगलाराम की होने से वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति हो, जिसका विधिनुसार बंटवारा नहीं हुआ है ?

––वादीगण

02. क्या वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में पूर्व में दाखिल वादपत्र का निस्तारण हो चुका है। अतः यह प्रकरण रेसज्यूडीकेटा के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं है ?

––प्रतिवादीगण

03. क्या वाद की विषय वस्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होने से व ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर की स्वामित्व की भूमि होने से उसे पक्षकार न बनाए जाने के कारण आवश्यक पक्षकार के अंसयोजन के कारण दावा पोषणीय नहीं है ?

––प्रतिवादीगण

04. क्या वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आने के कारण उक्त दावा पोषणीय नहीं है ?

––प्रतिवादीगण

05. अनुतोष

(04) वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0ड0–01 सुरेन्द्र, पी0ड0–02 बीरबल, पी0ड0–03 पवन कुमार के कथन लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श–01, कमिश्नर रिपोर्ट दिनांकित 13.09.2013 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02,

कमिश्नर रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, गवाह भूपेन्द्र के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04, गवाह जय सिंह का शपथ पत्र मय जिरह की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–06, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना के निर्णय दिनांक 26.09.2019 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–07, जमाबंदी संवत 2028 प्रदर्श–08, जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श–09, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–10, मिसल प्रदर्श–11, जमाबंदी संवत 2048 प्रदर्श–12, जमाबंदी संवत 2043 प्रदर्श–13, नजरी नक्शा प्रदर्श–14 प्रदर्श करवाए गए।

(05) प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी0ड0–01 भूपेन्द्र सिंह, डी0ड0–02 जय सिंह के कथन लेखबद्व कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादपत्र पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–01, संशोधित वादपत्र शीर्षक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–02, कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 03.12.2012 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–03, उसके साथ संलग्न नक्शा मौका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–04, निम्मो देवी द्वारा सुनिता को विक्रय की गई भूमि के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–05, वादपत्र पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य के निर्णय दिनांक 16.03.2018 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–06, डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–07, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–08, जवाब दावे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–09 प्रदर्श करवाए गए।

(06) बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया।

(07) दौराने बहस वादीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनो मंगलाराम के वंशज है। मंगलाराम ही विवादित स्थान पर आकर बसा था, जिस तथ्य से प्रतिवादीगण इंकार नहीं करते हैं। चूंकि प्रतिवादीगण भी मंगलाराम के वारिसान हैं, ऐसी परिस्थितियों में सहदायिकी की सम्पत्ति साबित है। प्रतिवादीगण ने बंटवारा होने का जो कथन किया गया है, उसे प्रतिवादीगण ने साबित नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 01 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

(08) उक्त तर्को का विरोध करते हुये प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त भूमि मंगलाराम की हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वयं वादीगण दौराने

जिरह इस तथ्य को स्वीकार करते है कि उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत लाम्बी जाट की है। आदेश 02 नियम 02 के अनुसार सम्पत्ति के संबंध में पूर्व में दावा किया जा चुका था। उसी दावे में समस्त तथ्य को उठाना चाहिए था, अलग से दावा नहीं किया जा सकता। संयुक्त रूप से आकर बसे हो ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जावे।

(09) उभयपक्षों के उपरोक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर इस न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है–

विवाद्यक संख्या 01

(10) इन दोनों विवाद्यकों के प्रमाणीकरण करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए0ड0–01 सुरेन्द्र ने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि मंगलाराम का देहान्त वर्ष 1990, 1995 के पास पास हुआ था। उस समय साक्षी का जन्म नहीं हुआ था। मुकन्दाराम 50 वर्ष पूर्व खत्म हो गए थे, इसके 05 वर्ष बाद फूलाराम खत्म हुए थे। उस वक्त साक्षी छोटा सा ही था। साक्षी स्वीकार करते है कि मंगलाराम का उन्होंने पत्रावली पर कोई प्रमाण या दस्तावेज उनके होने बाबत प्रस्तुत नहीं किया, न ही विवादित जमीन मुकन्दाराम व फूलाराम का होने का कोई प्रमाण व दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया। विवादित भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत का है, उनके पास कोई पट्टा आदि नहीं है। साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित जमीन राजस्व रिकार्ड में सरकार के नाम दर्ज है और विवादित जमीन के पश्चिम में निम्मो देवी की भूमि थी। विवादित भूमि में निम्मो देवी का आना जाना नहीं था। साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित भूमि के पश्चिम से लगती भूमि दिनांक 28.05.2012 को निम्मो देवी से श्रीमती सुनिता ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी। साक्षी स्वीकार करते है कि उनके मकान के दक्षिण व प्रतिवादीगण के मकान के उत्तर के मध्य की भूमि जिसे शामलाती चौक बताया गया है, का सिविल मुकदमा बुहाना सिविल कोर्ट में किया था, जो खारिज हो गया था। उक्त दावे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–01 व संशोधित शीर्षक प्रदर्श ए–02 है। साक्षी स्वीकार करते है कि

बुहाना न्यायालय में चले सिविल केस में उनकी दरख्वास्त पर कमिश्नर गया था, जिसकी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–03 व नक्शा प्रदर्श ए–04 है। सुनिता द्वारा खरीदी गई भूमि का विक्रय पत्र प्रदर्श ए–05 है। बुहाना कोर्ट के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–06 व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–07 है। इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्श ए–01 में दावा दायरी से एक माह पूर्व पत्थर पड़े होने कातथ्य दर्ज हो। इस सुझाव से इंकार किया कि दावा होने के बाद शामलाती चौक में कुरड़ी पड़ी हो, पशु आदि बंधते हो। उन्होंने जो निम्मो देवी से जमीन खरीदी, उसमें अगस्त 2012 में पहले चारदीवारी बनाई, बाद में मकान बनाए। इस सुझाव से इंकार किया कि निम्मो देवी अपने खेतो में आना जाना दक्षिण स्थित खसरा नम्बर 31/2 व 31/3 से करती हो। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके बुहाना कोर्ट में बयान हुए, जिसमें निम्मो देवी से खरीदशुदा भूमि में निर्माण सामग्री दक्षिण से ही लाए थे फिर कहा मुकदमा होने के बाद दीवार तोड़कर लाए थे, परन्तु पहले मुख्य दरवाजे से लाए थे। इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पूर्व की तरफ कोई दीवार तोड़ी हो और रास्ता बना लिया हो। साक्षी स्वीकार करते है कि वादपत्र प्रदर्श ए–01 में उन्होंने अपनी हवेली के दक्षिण की 14 फुट भूमि उनके हक व अधिकार की होने की घोषणा का दावा किया था। साक्षी स्वीकार करते है कि उनकी हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व व दक्षिण की तरफ है और उसी से वे गांव की तरफ आना जाना करते हैं। प्रतिवादीगण के मकानो व बाड़े के उत्तर के अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। विवादित भूमि का बंटवारा वर्ष 2009 में हुआ था। वादपत्र प्रदर्श ए–01 में बंटवारा मुकन्दाराम व फूलाराम के बीच मंगलाराम के जीवनकाल में हुआ हो तो उसे पता नहीं। उसके द्वारा शपथ पत्र में दर्ज मार्क–ए, बी, सी, डी का बंटवारा उसके जन्म से पहले हो गया था, किसने किया उसे पता नहीं। उसे नहीं पता कि मार्क–ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी द्वारा दर्शित विवादित भूखण्ड कितना लम्बा व चौड़ा है। पूर्व साईड के भूखण्ड जिसे मार्क–1 से दर्शाया गया है, कितना लम्बा चौड़ा है, करन्ट नहीं बता सकता। इस सुझाव से इंकार किया कि पूर्व साईड का भूखण्ड प्रतिवादीगण का हो और करीब 60 वर्ष से उन्हीं के पशु आदि बंधते हो और वे ही उपयोग उपभोग करते आ रहे हो। बुधराम, पालाराम 30–40 वर्ष पूर्व पुश्तैनी जमीन छोड़कर जो लाम्बी जाट में स्थित है, को छोड़कर सावाली ढाणी में बसे थे। इस सुझाव से इंकार किया कि दक्षिणी पूर्वी हिस्से में

प्रतिवादीगण के पशु आदि बंधते हो। उसका दक्षिण भाग वाले रास्ते से आना जाना होता था। वर्तमान में दक्षिणी भाग में उनका कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है, अजखुद कहा कि प्रतिवादीगण उनके पत्थर आदि को हटाकर उसे काम में लेने लग गए। इस सुझाव से इंकार किया कि मंगलाराम की संयुक्त खातेदारी की जमीन कभी नहीं रही हो। साक्षी ने मंगलाराम के नाम की जमीन की जमाबंदी पेश की है, जो प्रदर्श–08 है। इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी हवेली की दक्षिण दीवार के रोशनदान, जंगले फूलाराम की सहमति से बनाए हो। दक्षिण दिशा में दरीची गेट है, जो 04 फुट चौड़ा है, जो चौक में खुलता है, जो दोनों घरों के बीच चौक है, उसमें खुलता है, जो आज विवादित भूमि है। दिनांक 03.12.2012 को जब कमिश्नर गया तब साक्षी वहीं पर था। मौका रिपोर्ट में नक्शा प्रदर्श ए–04 बनाया जो मार्क–आर.एस द्वारा दर्शाया गया रास्ता दीवार तोड़कर बनाया गया था। प्रदर्श ए–08 में कटान का रास्ता 31/2, 31/3 व 31/2 के रूप में दर्शाया गया है जो रास्ता सार्वजनिक कुंए पर जाने का था, जो आज बिल्कुल बंद है। मुकन्दाराम का जन्म यही हुआ था जो साक्षी के सामने नहीं हुआ। फूलाराम का जन्म भी लाम्बी में हुआ था। इस सुझाव से इंकार किया कि मंगलाराम ढाणी सावाली का मूल निवासी हो तथा फिूलाराम अलग से आकर लाम्बी में बसा हो और अपने मकानात व गुवाड़ी बनाई हो। फूलाराम व मुकन्दाराम दोनो सगे भाई थे, जिनकी शामलाती गुवाड़ी थी। मुकन्दाराम व फूलाराम साक्षी की याद से पहले ही अलग हो गए थे। खेतों का बाहमी बंटवारा भी हो गया था, परन्तु विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ। साक्षी स्वीकार करते है कि कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–03 में कुरड़ी, पत्थर व पशु बांधना दर्शाया है तथा दरवाजा मार्क–एन बन्द दर्शाया गया है। उत्तरी दरवाजा प्रतिवादीगण के पक्ष के पशुओं व चारा को आवारा जानवर नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए दावा दायरी के बाद उत्तर दरवाजा लगाया था। इस दरवाजे को पशुओं ने नहीं तोड़ा था। इस सुझाव से इंकार किया कि कोई शामलाती गुवाड़ी नही हो और उन्होंने पश्चिमी मकानों के लिए रास्ता कायम करने के लिए दबाव बनाने के लिए झूंठा मुकदमा किया हो।

(11) वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए0ड0–02 बीरबल ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित जमीन लाम्बी अहर के स्वामित्व की है, जिसका मुकदमा बुहाना सिविल न्यायालय में

चला था और साक्षी उक्त मुकदमें में पक्षकार था, उक्त मुकदमे के वादपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–01 है। इस सुझाव से इंकार किय कि उनकी हवेली के पश्चिम में स्थित भूमि उन्होंने वादपत्र प्रदर्श ए–01 में निम्मो देवी का होना लिखाया हो। विवादित जमीन से लगती हुई खेती की जमीन उन्होंने निम्मो देवी से खरीदी थी, जो महिपाल के नाम से खरीदी थी। सुनीता के नाम से दूसरी जमीन थी। यह उसे नहीं पता कि वर्तमान पत्रावली में मंगलाराम, फूलाराम, मुकन्दाराम व उनके हक व अधिकार का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश किया या नहीं। मंगलाराम का देहान्त 40–45 वर्ष पूर्व हो गया था। उस वक्त साक्षी का जन्म नहीं हुआ। मंगलाराम लाम्बी जाट में ही रहते थे, यह बात सुनी सुनाई बता रहा है। साक्षी सांवल की ढाणी में 25–30 वर्ष से रहता है। मुकन्दाराम 50–55 वर्ष पहले खत्म हो गए। मुकन्दाराम व फूलाराम अपने पिता के रहते ही बंटवारा करके अलग हो गए थे। निम्मो देवी के दक्षिण में कोई कटान का रास्ता नहीं है। वह तो आगे जाकर 31/2 व 31/3 लगता है। बुहाना वाले दावे में बीच का चौक शामलाती लिखाया है। वादपत्र प्रदर्श ए–01 में 14 फुट जगह अपने हक व अधिकार की होना बताया है, जो सही है। विवादित गुवाड़ी कितनी लम्बी चौड़ी है व कितने क्षेत्रफल की है, उसे नहीं पता। हवेली के पश्चिम में कितनी लम्बी चौड़ी जमीन है उसे नहीं पता। मार्क–ए, बी, सी, डी, इ, एफ, जी क्या है व कहां तक है, साक्षी नहीं बता सकता। इसी प्रकार मार्क–ए, बी, ए2, ए3, बी व बी1 के बारे में नहीं जानता। साक्षी को पता नहीं कि फूलाराम की हवेली कब बनी थी। साक्षी स्वीकार करते है कि दरीची वाला गेट दक्षिण साईड में 04 फुट खुलता है। इस दरवाजे व पूर्व दरवाजे से जाते थे। हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ है। इस सुझाव से इंकार किया कि उनके मकानों के बीच में स्थित चौक में पत्थर, तामीराम का सामान पहले से ही पड़ा हो। यह उसे ध्यान नहीं है कि बुहाना में दायर वादपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 में दावा दायरी से एक माह पूर्व पत्थर पड़े होने का तथ्य दर्ज किया हो। इस सुझाव से इंकार किया उनका बुहाना में दावा उनकी चौक की जमीन उनकी न मानते हुए खारिज किया गया बल्कि उसमें पूर्ण स्टाम्पित नहीं था इसलिए खारिज हुआ था। उसे ध्यान नहीं है कि शामलाती चौक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। शामलाती चौक में प्रतिवादीगण के कोई पशु नहीं बंधते बल्कि पूर्व साईड में बंधते है। उनके मकानों के पूर्व साईड में न तो उनके पशु बंधते है, न ही

कोई लास है, ना ही पशु चारा की कोई व्यवस्था है। पूर्व साईड की जमीन कितनी लम्बी चौडी है, उसे नहीं पता। मंगलाराम के नाम से जमीन थी तभी फूलाराम व मुकन्दाराम को मिली। मंगलाराम की खातेदारी का रिकार्ड उन्होंने पत्रावली में पेश नहीं किया। साक्षी स्वीकार करते है कि फूलाराम व मंगलाराम की गुवाड़ी बंटवारा होने के बाद अलग–अलग थी। इस सुझाव से इंकार किया कि दक्षिणी दीवार में खिड़की, रोशनदान व दरीची फूलाराम की मर्जी से निकाली हो। उसे ध्यान नहीं कि सुनीता के मकान के पूर्व दरवाजे के आगे कुरडी, ईधन पड़ा हो। उसे विवादित जगह पर गए हुए 03–04 महिने हो गए। साक्षी स्वीकार करते है कि प्रतिवादी पक्ष प्रारम्भ से ही उत्तरी दरवाजे से ही आता जाता रहा है, और कोई रास्ता नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया कि फूलाराम व मुकन्दाराम की शामलाती गुवाड़ी हो व अलग अलग रहते हो। इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी शामलाती गुवाड़ी नहीं हो और उन्होंने पूर्व साईड की सुनीता के मकानों में आने जाने के लिए रास्ता कायम करने के लिए झूंठा मुकदमा किया हो। उत्तरी दरवाजा प्रतिवादी पक्ष का ही लगाया हुआ है। इस सुझाव से इंकारकिया कि प्रतिवादीगण ने बुहाना वाले दावे से पूर्व ही उत्तरी दरवाजा लगा लिया हो बल्कि दावे के बाद लगाया था। यहां कोई गेट नहीं था।

(12) वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए0ड0–03 पवन कुमार अपने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में बताते है कि वह पक्षकारान को जानता है। करीब 12–13 वर्ष पहले सुरेन्द्र की पत्नी सुनीता ने निम्मो देवी से जमीन खरीदी थी व मकान बनाए थे, जिसमें साक्षी ने मजदूर के रूप में काम किया था। साक्षी झगड़े वाली जमीन को भी जानता है, जो उत्तर दक्षिण करीब 19–20 फुट चौड़ी है। जमीन दोनों पक्षकारों के मकानों के बीच में है, जिसमें से दोनों पक्ष के व्यक्ति आते जाते हैं व शामिल में ही काम लेते रहे हैं। जमीन के उत्तर में स्वर्गीय शिवनन्द की हवेली है, उसकी दक्षिणी दीवार में 03 जंगले, 06 रोशनदान व 01 दरवाजा है, जिसमें से बीरबल व शिवनन्द के परिवार के व्यक्ति इस जगह में आते जाते रहते है। पूर्व दिशा में दक्षिण की ओर बीरबल वगैरा की जगह है, जहां पहले मकान थे। इस जगह का व दोनों तरफ बने मकानों में से जो मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है, उसमें भी आते जाते हैं। साक्षी के जन्म से ही इस जगह को दोनों पक्षकारों द्वारा काम में लेता देखा है। अब 10–12 वर्षो से इन दोनों का झगड़ा

हो गया। बीरबल वगैरा को रामप्रसाद वगैरा इस जमीन में से आने जाने के लिए रोकते हैं। दोनों पक्ष मंगलाराम के वारिसान है व इनकी काश्त की जमीन भी शामलाती है, आपसी सहमसित से अलग अलग खेत काश्त करते है। झगड़े वाली जगह में रामप्रसाद वगैरा ने पत्थर, खाद की कुरड़ी, पत्थर डाल रखे हैं। निम्मो देवी ने जमीन बेचने से पहले भी दोनों पक्ष ही इस जमीन से निम्मो देवी वाली जमीन में आते जाते रहते थे। शिवनन्द की हवेली के पश्चिम में कुछ खाली जगह थी, जिसमें शिवनन्द आदि ने लैट्रिन, बाथरूम व टीनशेड़ बना लिए व पशु पहले वहीं बंधते थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि पूर्वी दीवार के साथ भूपेन्द्र की कुरड़ी, पत्थर, ईशन आदि वही पड़े थे। सारा निर्माण कार्य दक्षिण की साईड से आया था। दोनों हवेलियां के बीच में चौक है जो बिल्कुल खाली है, जिसमें न तो ईधन पड़ा है, न ही पशु बंधते हैं। चौक की लम्बाई लगभग 50–60 फुट है। साक्षी स्वीकार करते है कि भूपेन्द्र के मकानों की तरफ एक दरीचीनुमा गेट खुलता है। भूपेन्द्र के मकानों से गांव की तरफ जाते हैं, वहां दरवाजा लगा हुआ है, वहां से इनका आना जाना है। सुनीता ने मकान बनाया तब दरवाजा लगाया था, उससे पहले कोई दरवाजा नहीं था। मंगलाराम, फूलाराम व मुकन्दाराम सीर (शामलाती) में रहते थे या अलग अलग रहते, साक्षी नहीं बता सकता। साक्षी स्वीकार करते है कि शामलाती चौक में पत्थर, कुरड़ी, ईधन आदि पड़े हैं, जो झगड़े होने के बाद डाले है, जो प्रतिवादीगण के हैं। बुधराम, पालाराम व इनके बच्चे सभी गांव में रहते थे, बाद में सांवल की ढाणी में रहते थे। बुधराम व पालाराम 25–30 वर्ष पहले गए थे, उससे पहले लाम्बी जाट में रहते थे। उसे नहीं पता कि वादीगण के पूर्वाजें के वंशज सांवल की ढाणी में रहते हो। हवेली के पूर्व दिशा में किसी के पशु नहीं बंधते, वह जगह आधी–आधी बंटी है। उसे नहीं पता कि वादीगण की हवेली के पश्चिम में कितनी जगह खाली है। पश्चिम में सुरेन्द्र का मकान है, खाली प्लाट है। सुरेन्द्र के प्लाट में पशु बंधते हैं। हवेली के पश्चिम में महिपाल की जमीन है। एक प्लाट निम्मो देवी ने 15–16 वर्ष पहले लिया था। वादी एवं प्रतिवादीगण अलग अलग रहते हैं, शामलाती में नहीं रहते। हवेली के पास की जमीन आने जाने के लिए शामलाती है।

(13) प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी डी0ड0–01 भूपेन्द्र सिंह परीक्षित हुए है, जिन्होंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में जवाब वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में

साक्षी बताते है कि फूलाराम व मुकन्दाराम सगे भाई थे, जो मंगलाराम के पुत्र थे। दोनों का जन्म सांवल की ढाणी में हुआ था। मंगलाराम की सांवल की ढाणी में रिहायश थी। मुकन्दाराम व फूलाराम अलग अलग होने से पहले शामिल में सांवल की ढाणी में रहते थे। विवादित जगह से सटकर जो हवेली है, उसमें शिवनन्द रहता था अब उसके वारिस रहते हैं। साक्षी स्वीकार करते है कि बंटवारा दोनों भाईयों का किस किस तरह से हुआ था, यह तथ्य उसने अपने शपथ पत्र व जवाब दावे में नहीं लिखवाया। बुहाना न्यायालय में शपथ पत्र प्रदर्श–04 में उसने यह नहीं लिखाया कि फूलाराम व मुकन्दाराम के हिस्से में क्या–क्या है। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने जवाब दावा व अपने शपथ पत्र में यह नहीं लिखाया कि कौनसे वर्ष में फूलाराम व मुकन्दाराम अलग हुए। साक्षी के जन्म से पहले फूलाराम को खत्म हुए 50 वर्ष हो गए। इस सुझाव से इंकार किया कि सारी जमीन मंगलाराम की हो, जिसमें उत्तर की तरफ मुकन्दाराम ने व दक्षिण की तरफ फूलाराम मकान बनाए लिए हो। साक्षी स्वीकार करते है कि दोनों पक्षों के मकानों के बीच खाली जगह फूलाराम की है। जिस जगह का झगड़ा है, उसके उत्तर में शिवनन्द की हवेली है। इस सुझाव से इंकार किया कि दोनों मकानों के बीच की जगह शुरू से खाली हो। साक्षी स्वीकार करते है कि फूलाराम व मुकन्दाराम की कृषि भूमि की खातेदारी शामलाती में है। विवादित जगह में पहले फूलाराम सांवल की ढाणी से आया था। मंगलाराम विवादित जगह में कभी नहीं आया, वह तो सांवल की ढाणी में पहले ही खत्म हो गया। जब फूलाराम विवादित जगह में आया उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बुहाना में दावा किया, इससे 10 वर्ष पहले ही विवादित जगह पर उत्तरमुखी दरवाजा लगा हुआ था, लोहे का गेट व गाटर थी। साक्षी स्वीकार करते है कि वादीगण की हवेली के दक्षिण दीवार में 06 रोशनदान, 03 खिड़की व एक दरीची गेट है जो साक्षी की सहमति से निकाल हुए हैं। सहमति बहादूर सिंह व रामस्वरूप ने दी थी, जिसकी कोई लिखापढ़ी नहीं हुई, जो उसके जन्म से पहले की थी। साक्षी स्वीकार करते है कि वे अपने मकानों से शिवनन्द की हवेली में दक्षिण गेट से आते जाते थे, यह बयान प्रदर्श–04 में सी–डी भाग उसने लिखाया है। पक्षकारान मंगलाराम के वारिसान हैं। इस सुझाव से इंकार किया कि निम्मो से जमीन खरीदने से पहले वे सब पक्षकार हवेलियों के बीच की जगह से शामिल में आते जाते थे। प्रदर्श ए–08 में दर्ज खसरा नम्बर 33 में दर्ज चिन्ह ''एक्स'' मार्क से

आबादी से संबंधित है या नहीं वह नहीं बता सकता। निम्मो देवी की जमीन खसरानं0 17 से सटकर ही विवादित जगह है जो खसरा नं0 33 में है। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने शपथ पत्र के खण्ड संख्या 04 में वे जहां बस रहे हैं, वह सरकारी भूमि लिखाया है जो खसरा नं0 33 में है। साक्षी स्वीकार करते है कि बुहाना में प्रस्तुत दावे में मंगलाराम के सभी वारिसान का नाम दर्ज नहीं था, न ही पक्षकार बनाया। साक्षी स्वीकार करते है कि बुहाना वाले दावे में दस्तावेज दिनांक 23.08.2009 स्टाम्पित व रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण दावा खारिज हो गया। इस सुझाव से इंकार किया कि उनके मकानों के बीच की जगह दोनों भाईयों के वारिसान काम में लेते हो व उत्तर की दिशा से आवागमन करते हो। इस सुझाव से इंकार किया कि वह जानबूझकर मंगलाराम की शामलाती भूमि को उनकी व्यक्तिगत भूमि होना बता रहा हो।

(14) प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी डी0ड0–02 जय सिंह परीक्षित हुए है, जिन्होंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में जवाब वादपत्र तथा साक्षी डी0ड0–01 भूपेन्द्र सिंह के साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि मंगलाराम के दो लड़के फूलाराम व मुकन्दाराम थे, जिनकी वर्ष 1974–75 में मृत्यु हो गई। मंगलाराम उसकी याद से पहले ही खत्म हो गया। मुकन्दा व फूलाराम का खरता अलग अलग है व काश्त की जमीन अलग अलग है। प्रदर्श–08 देखकर साक्षी बताते है कि वह पढ़ नहीं सकता इसलिए कह नहीं सकता कि फूलाराम व मुकन्दाराम की शामलाती जमीन दर्ज हो। साक्षी स्वीकार करते है कि फूलाराम व शिवनन्द की भूमि आबादी भूमि है और इन दोनों के मकानों के बीच में खाली जगह है। जगह कितनी लम्बी चौड़ी है, साक्षी नहीं बता सकता। हवेली के दक्षिण में 03 जंगले, 06 रोशनदान व 01 छोटा गेट है। उत्तर में गेट है, जिससे बहादूर जाता है। साक्षी स्वीकार करते हे कि हवेली में रहने वाले व्यक्ति शिवनन्द इस खाली जगह में आता जाता था। फूलाराम के वारिस भी दरीची गेट से शिवनन्द के घर जाते थे। विवादित जगह जहां शिवनन्द बसा है, वह जमीन मंगलाराम की है, अजखुद कहा कि मुकन्दाराम व फूलाराम की मानता है। साक्षी के पूर्व बयान प्रदर्श–05 का ए–बी, सी–डी व इ–एफ हिस्सा उसने लिखाया था। उसे नहीं पता कि पालाराम व बुधराम, शिवनन्द को अपनी जगह दे गए हो अजखुद कहा कि पालाराम व बुधराम ढाणी में रहते थे। इस सुझाव से इंकार किया कि शिवनन्द की हवेली के पश्चिम में खाली जगह

हो बल्कि निम्मो देवीका खेत था। हवेली व खेत के बीच कोई जगह नहीं थी। बहादूर सिंह के मकान के पश्चिम में खाली जगह है जहां कुरड़ी वगैरा डालते हैं। साक्षी को याद नहीं कि बहादूर वगैरा ने उत्तर का गेट कब लगाया। सांड ने गेट तोड़ दिया उसके बाद उत्तर का गेट लगाया था। विवादित जगह से सांवल की ढाणी आधा किलोमीटर दूर है। उसे नहीं पता कि फूलाराम व मुकन्दा कब अलग हुए, 60–70 वर्ष पूर्व हुए होगें।

(15) उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभिकथनों पर विचार किया गया। पक्षकारों के अभिवचन व साक्ष्य से वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय मंगलाराम के वंशज/सदस्य होना स्वीकृत तथ्य है। वादीगण के अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित सीमाओं वाली भूमि पक्षकारान के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है परन्तु पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर अपने अपने हिस्से पर निर्माण कर काबिज है। वादीगण ने यह भी बताया है कि जिस सम्पत्ति का विवरण वादपत्र की चरण संख्या 02 में दिया गया है, उसमें नजरी नक्शे में दर्शित जी, जी–1, डब्ल्यू, डब्लयू––1, ए–1, ए–2, सी से दर्शित चौक पक्षकारान का शामलाती है तथा पूर्व की ओर जो बाड़ा बना हुआ है, जिसे मार्क–1 से दर्शित किया गया है, उसका उत्तरी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के कब्जे में तथा दक्षिणी अर्द्धभाग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 08 के कब्जे में है।

(16) इसके विपरीत प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 ने बताया है कि मंगलाराम के जीवनकाल में ही उनके दोनो पुत्र मुकन्दाराम व फूलराम अलग हो गए थे और संयुक्त परिवार नहीं था और न ही शामलाती सम्पत्ति थी। प्रतिवादीगण के अनुसार मुकन्दाराम व फूलाराम ने अपने मकान व गुवाड़ी पृथक पृथक बनाए थे। प्रतिवादीगण के अनुसार नजरी नक्शा में जो मार्क–1 स्थान दर्शित किया है, वह सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 का है, जिसमें उनके पूर्वज फूलाराम के समय से ही मकान झोपड़ी आदि बने हुए है और उनमें पशु इत्यादि बांधते है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने यह भी बताया है कि जिस चौक को वादीगण ने शामलाती होना बताया है, वह शामलाती नहीं है, अपितु सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के हिस्से की सम्पत्ति है।

(17) जहां तक विवादित भूमि/चौक शामलाती सहदायिकी होने का प्रश्न है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वयं वादी/साक्षी पी0ड0–01 सुरेन्द्र ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन मुकन्दाराम व फूलाराम का होने का कोई प्रमाण व दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। विवादित भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत का है, उनके पास कोई पट्टा आदि नहीं है। उक्त साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित जमीन राजस्व रिकार्ड में सरकार के नाम दर्ज है। साक्षी पी0ड0–02 बीरबल भी प्रतिपरीक्षण में विवादित जमीन लाम्बी अहीर के स्वामित्व की होना स्वीकार करते हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0ड0–01 भूपेन्द्र ने अपने साक्ष्य शपथपत्र मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि सरकारी भूमि होना बताया है। यद्यपि वादी/साक्षी पी0ड0–01 सुरेन्द्र मुख्य परीक्षण में विवादित भूखण्ड संयुक्त व शामलाती सम्पत्ति होना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिताजी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रदर्श ए–01 में बंटवारा मुकन्दाराम व फूलाराम के बीच मंगलाराम के जीवनकाल में हुआ हो। उसके द्वारा शपथ पत्र में दर्ज मार्क–ए, बी, सी, डी का बंटवारा उसके जन्म से पहले हो गया था, किसने किया उसे नहीं पता। बुधराम, पालाराम 30–40 वर्ष पूर्व पुश्तैनी जमीन छोड़कर जो लाम्बी जाट में स्थित है, को छोड़कर सांवली ढाणी में बसे थे। उक्त साक्षी पी0ड0–01 सुरेन्द्र प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि मंगलाराम के नाम से कोई कृषि भूमि का दस्तावेज पेश नहीं किया, अजखुद कहा कि मुकन्दाराम व फूलाराम के नाम से जमीन की जमाबंदी प्रदर्श–08 है। मुकन्दाराम का जन्म वहीं पर होना उक्त साक्षी कथन करता है और इस तथ्य से इंकार करता है कि फूलाराम अलग से आकर लाम्बी में बस हो और अपने मकानात व गुवाड़ी बनाई हो। फूलाराम की कोई शामलाती गुवाड़ी हो तो उसे ध्यान नहीं है। मुकन्दाराम व फूलाराम उसकी याद से पहले ही अलग हो गए थे, खेतो का बाहमी बंटवारा भी हो गया था। वादी/साक्षी पी0ड0–02 बीरबल प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार करते हे कि उसे नहीं पता कि उन्होंने वर्तमान फाईल में मंगलाराम, फूलाराम, मुकन्दाराम व उनके हक व अधिकार का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश किया या नहीं। मंगलाराम का देहान्त 40–45 वर्ष्ज्ञ पूर्व हो गया था, उस वक्त साक्षी का जन्म नहीं हुआ था। मंगलाराम कहां रहते थे, उसने नहीं देखा फिर कहा कि लाम्बी जाट में ही रहते थे। उसके द्वारा यह तथ्य सुनी सुनाई बता रहा है।

मुकन्दाराम 50–55 वर्ष पहले खत्म हो गया। मुकन्दाराम व फूलाराम अपने पिता के रहते ही बंटवारा करके अलग हो गए थे। मुकन्दाराम व फूलाराम का कमाई–धमाई सब अलग अलग थे, शामलाती में कुछ नहीं था। विवादित गुवाडी की लम्बाई चौड़ी कितनी है, नहीं बता सकता। उसे ध्यान नहीं है कि चौक के शामलाती होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इस सुझाव से इंकार किया कि मुकन्दाराम व फूलाराम की शामलाती गुवाड़ी हो व उन्होंने अलग अलग मकान बनाए हो व अलग अलग रहते हो। इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षीगण मुकन्दाराम व फूलाराम की शामलाती गुवाड़ी होने से इंकार करते हैं। उपरोक्त दोनों साक्षीगण यह तथ्य कहीं भी प्रमाणित नहीं कर पाए कि उक्त सम्पत्ति उनके पूर्वज मंगलाराम की सहदायिकी की सम्पत्ति हो। जबकि उक्त दोनों साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में उनके जन्म के समय से ही पहले बंटवारा हो जाना, अलग–अलग रहना व अलग अलग कमाई धमाई करना कथन करते हैं। उनकी सम्पत्ति शामलती हो, ऐसा तथ्य उक्त दोनों साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में नहीं आया है। उक्त दोनों साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि विवादित चौक का इस्तेमाल प्रतिवादीगण कर रहे हैं। इस संबंध में वादी/साक्षी पी0ड0–01 सुरेन्द्र प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि वर्तमान में दक्षिणी भाग में उनका कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है, अजखुद कहा कि प्रतिवादीगण उनके पत्थर आदि को हटाकर उसे काम में लेने लगे। साक्षी पी0ड0–03 पवन कुमार प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि शामलाती चौक में पत्थर, कुरड़ी, ईधन आदी पड़े हैं, इसलिए वहां से कोई वाहन नहीं आ जा सकते, जो झगड़ा होने के बाद डाले गए हैं, यह कुरड़ी पत्थर प्रतिवादीगण के हैं।

(18) इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 के संदर्भ में सर्वप्रथम तो उक्त सम्पत्ति मंगलाराम की हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वयं वादीगण प्रतिपरीक्षण में उक्त सम्पत्ति को लाम्बी जाट की होना स्वीकार करते हैं। जहां तक बंटवारे का प्रश्न है। वादीगण की ओर से सिविल न्यायालय बुहाना के समक्ष पूर्ववती वादपत्र ''पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य'' प्रस्तुत किया था, जिसे प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श ए–01 के रूप में प्रदर्श करवाया गया है, उक्त वादपत्र के वादीगण पालाराम व शिवनन्द ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से बताया है कि–''मुकन्दाराम व फूलाराम ने अपनी रिहायशी भूमि का पहले ही

बंटवारा कर लिया था''। इस प्रकार वादीगण अपने पूर्ववर्ती वाद में अंकित तथ्यों से इंकार करने से पीछे नहीं हट सकते। इस प्रकार वादीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई है, जिससे यह प्रगट होता हो कि वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित सम्पत्ति स्वर्गीय मंगलाराम की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति हो, जिसका विधिनुसार बंटवारा नहीं हुआ हो। अतः विवाद्यक संख्या 01 वादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02

(19) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दिनांक 13.11.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का निस्तारण करते हुए यह अभिव्यक्त किया गया कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में एक वाद संख्या 16/2012 बनवारी पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य वास्ते घोषणा, आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश बुहाना में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अवलोकन से हस्तगत दावे में व पूर्व में प्रस्तुत दावे में पक्षकारान की संख्या भिन्न व अलग हैं, सिविल न्यायालय बुहाना में प्रस्तुत दावा घोषणा, आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा का किया गया है जबकि वर्तमान वाद (हस्तगत वाद) स्वर्गीय मंगलाराम के वारिसान होने के आधार पर सम्पत्ति के विभाजन का किया गया है, ऐसी स्थिति में दोनों वादों के पक्षकारान व अनुतोष एवं कॉज ऑफ एक्शन भिन्न होने से हस्तगत वाद पर रेसजूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नहीं होता। अतः यह विवाद्यक संख्या 02 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03

(20) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। स्वयं वादी/साक्षी पी0ड0–01 सुरेन्द्र ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन मुकन्दाराम व फूलाराम का होने का कोई प्रमाण व दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। विवादित भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत का है, उनके पास कोई पट्टा आदि नहीं है। विवादित जमीन राजस्व रिकार्ड में सरकार के नाम दर्ज है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0ड0–01 भूपेन्द्र ने अपने साक्ष्य शपथपत्र मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि सरकारी भूमि होना बताया है। हस्तगत वादपत्र के अवलोकन से यह प्रगट होता है कि वादीगण की ओर से न तो राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है, न ही ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर को पक्षकार बनाया है। ऐसी

स्थिति में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण हस्तगत दावा पोषणीय नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04

(21) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस विवाद्यक के संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह विवाद्यक संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 05

(22) यह विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। वादीगण विवाद्यक संख्या 01 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है। लिहाजा हस्तगत वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

(23) परिणामतः वादीगण बीरबल व अन्य की ओर से पेश वादपत्र बाबत घोषणात्मक, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश विरूद्व प्रतिवादीगण श्रीमती रेशमी देवी व अन्य अस्वीकार किया जाता है।

(24) खर्चा प्रकरण पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(25) उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी जिला–झुन्झुनू।

(26) निर्णय आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी जिला–झुन्झुनू।